कार्यालय उपयोग हेतु

राजस्थान सरकार

वार्षिक

विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन

1988-89

निदेशालय
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।

राजकीय मुद्रणालय, बीकानेर

कार्यालय उपयोग हेतु

राजस्थान सरकार

वार्षिक

विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन

1988-89

निदेशालय
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर ।

राजकीय मुद्रणालय, बीकानेर

NIEPA DC
D05343

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,Sri Aurbindo Marg,NewDelhi-110016
DOC. No....D-5343....
Date.........9-7-90...

प्राक्कथन

शिक्षा विभाग की वित्तीय व्यवस्था तथा वर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन तैयार किया जाता रहा है । इस प्रकाशन में विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में की गयी प्रगति व उपलब्धियों को भी दर्शाया गया है ।

मुझे विश्वास है कि शैक्षिक गतिविधियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रखने वाले महानुभावों के लिए यह प्रकाशन उपयोगी सिद्ध होगा । इस विभागीय वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 1988-89 को यद्यपि अधिकाधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया है तथापि सुझावों का सदैव स्वागत है ताकि अगले प्रकाशन में हम इसे और अधिक उपयोगी बना सकें ।

(ललित के० पंवार)
निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर ।

बीकानेर:

प्रकाशन से सम्बद्ध सांख्यिकी कर्मी

निर्देशन एवं [illegible]

श्री एन० [illegible] —=— उप-निदेशक (सांख्यिकी)

प्रारूप सारिणियन एवं सज्जा

श्री सुरेन्द्र प्रकाश दाधीच —=— सांख्यिकी सहायक

श्री विश्वम्भर सिंह चौधरी —=— सांख्यिकी सहायक

श्री गौरी शंकर व्यास —=— सांख्यिकी सहायक

श्री सत्य प्रकाश शुक्ला —=— सांख्यिकी सहायक

श्रीमती मंजुलता बांधोकर —=— सांख्यिकी सहायक

संगणन

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा —=— संगणक

श्री गिरिराज प्रसाद गुप्ता —=— संगणक

टंकण

श्री भूपेन्द्र सिंह चौहान —=— कनिष्ठ लिपिक

=-:00000:-=

अनुक्रमणिका :-

क्र.सं०	विवरण	पेज संख्या
1.	राजस्थान-सामान्य परिचय	01
2.	क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासन का स्वरूप	01
3.	जिला स्तरीय प्रशासन	03
4.	शैक्षणिक प्रगति	05
5.	शिक्षा कर्मी योजना	06
6.	नवोदय विद्यालय	07
7.	ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना	07
8.	अनौपचारिक शिक्षा	08
9.	श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम	08
10.	अपव्यय एवं परित्याग	09
11.	विशिष्ठ अभिकरण	10
12.	कम्प्यूटर शिक्षा	13
13.	व्यावसायिक शिक्षा	13
14.	छात्र-वृतियां	13
15.	क्रियाशील अवकाश	14
16.	विद्यालय संगम	14
17.	दलीय परोवीक्षण	14
18.	प्रधानाध्यापक वाकपीठ	15
19.	परीक्षा परिणाम उन्नयन	15
20.	आन्तरिक मूल्यांकन प्रणाली	16
21.	शिक्षक प्रशिक्षण	16
22.	शिक्षक पुरूष्कार	17
23.	विकलांगों के लिए शिक्षा	17
24.	योजना एवं लेखा	18
25.	पुस्तकालय	18
26.	शारीरिक शिक्षा	18
27.	खेलकूद	19
28.	विभागीय परीक्षाऐं	19
29.	हितकारी विधि	20
30.	शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान	20
31.	विभागीय प्रकाशन	21
32.	विभागीय कैलेण्डर	22
33.	शिक्षा की प्रगति से सम्बन्धित सांख्यकी सारणियां	23

=-:00000:-=

सामान्य परिचय :

राजस्थान राज्य में 27 जिले हैं, जिसमें क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से पर्याप्त असमानता है । क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर सबसे बड़ा एवं डूंगरपुर सबसे छोटा जिला है ।

राजस्थान राज्य की स्थापना के बाद राज्य सरकार ने शिक्षा की ओर ध्यान देना शुरू किया । शिक्षा विभाग को सुदृढ़ रूप देने के लिए शिक्षा का निदेशालय अलग से खोला गया । निदेशालय प्रारम्भ होने से अब तक शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार हेतु निरन्तर प्रयास किया जाता रहा है । इसी का परिणाम है कि 1950 में प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च - प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 5068 थी जो बढ़कर 1987-88 के अन्त तक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमशः 28541 तथा 8355 हो गयी । माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय 1950-51 में 175 थे की संख्या बढ़कर क्रमशः 2171 व 897 हो गयी है ।

1981 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 24.38 प्रतिशत है अनुसूचित जाति एवं जनजाति का साक्षरता प्रतिशत 14.04 प्रतिशत एवं 10.27 प्रतिशत है ।

शिक्षा विभाग का प्रशासनिक स्वरूप :

निदेशालय प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के निदेशक पद पर वर्ष प्रारम्भ होने से 5.8.88 तक श्री तपेन्द्र कुमार तथा वर्तमान में श्री ललित के0 पंवार 6.8.88 से कार्यरत हैं । निदेशालय, मंडल एवं जिला स्तरीय प्रशासन निम्न प्रकार है :-

1) अपर निदेशक

अ) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।

ब) शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रकाष्ठ, जयपुर ।

स) निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा, जयपुर ।

द) निदेशक, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर ।

य) अतिरिक्त निदेशक (व्यावसायिक शिक्षा) निदेशालय, बीकानेर ।

ORGANISATIONAL SET-UP OF DIRECTORATE OF EDUCATION PRIMARY & SECONDARY, RAJASTHAN, BIKANER.

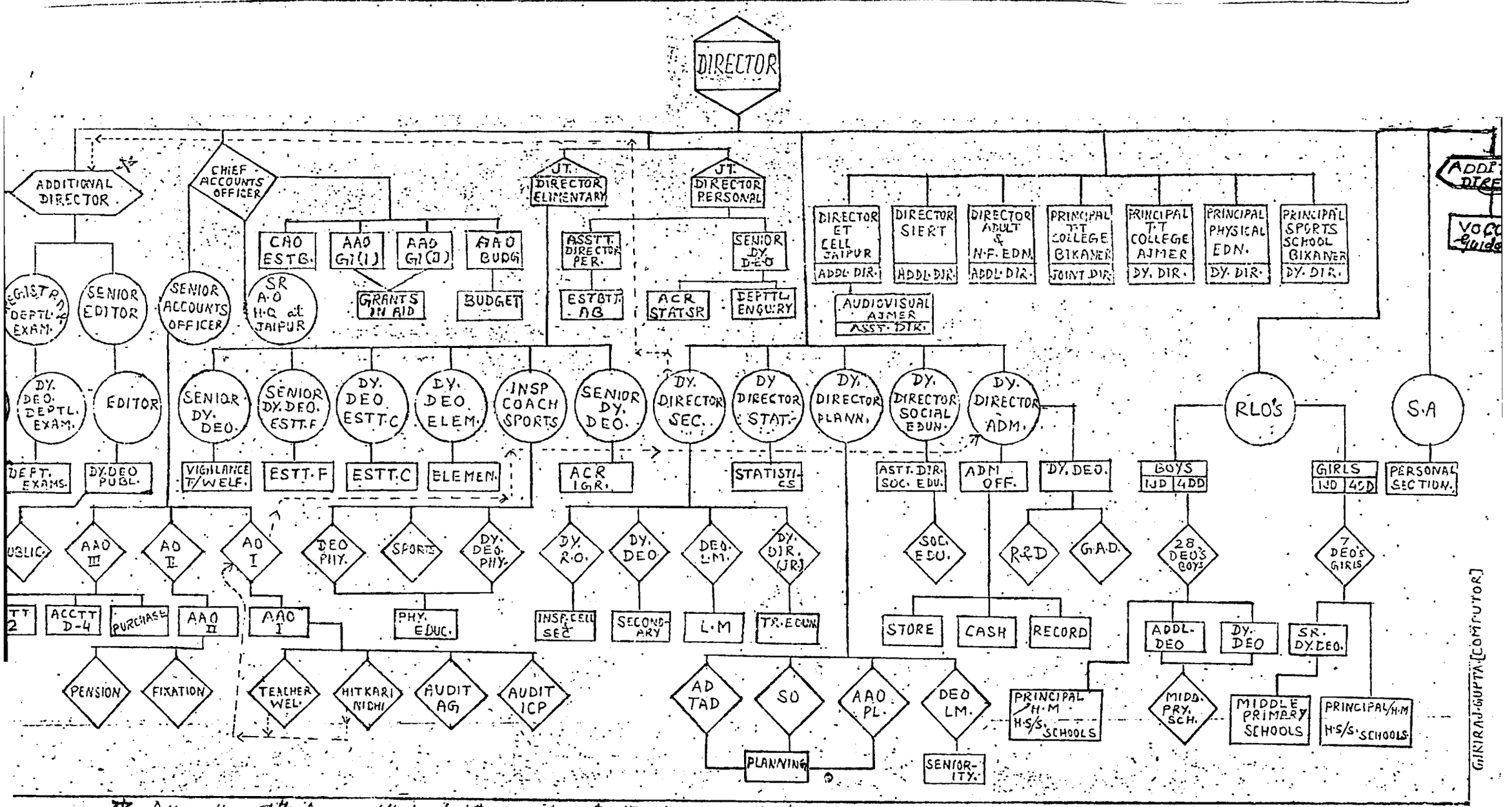

* All matters of the powers of the head of the departments other then class first.

2) संयुक्त निदेशक

अ) परिक्षेत्र 2, 8 अन्य

ब) मुख्यालय 2 (I) प्राथमिक (II) कार्मिक

3) उप-निदेशक

1) माध्यमिक 2) समाज शिक्षा

3) सांख्यिकी 4) योजना

5) सामान्य प्रशासन

4) मुख्य लेखाधिकारी

5) सहायक निदेशक (समाज शिक्षा)

6) सहायक निदेशक (कार्मिक/वरिष्ठता)

7) जिला शिक्षा अधिकारी - भाषायी अल्पसंख्यक

8) पंजीयक विभागीय परीक्षाएँ

9) जिला शिक्षा अधिकारी (शिक्षक प्रशिक्षण) (उपनिदेशक कनिष्ठ)

10) निरीक्षक शारीरिक शिक्षा

11) निरीक्षक खेलकूद प्रशिक्षण

12) सहायक निदेशक (जनजाति क्षेत्र विकास)

13) वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी (विभागीय जांच, गोपनीय प्रतिवेदन)

14) वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी (सर्तकता)

15) लेखाधिकारी - 2

16) उप जिला शिक्षा अधिकारी (विधि)

17) उप जिला शिक्षा अधिकारी (विभागीय परीक्षा)

18) उप जिला शिक्षा अधिकारी (संस्थापन-एफ)

19) उप जिला शिक्षा अधिकारी (संस्थापन-सी)

20) उप जिला शिक्षा अधिकारी (शोध)

21) उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा)

22) उप जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक)

23) वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी (गोपनीय प्रथम ग्रेड)

24) सहायक लेखाधिकारी - 6+1 (योजना)

25) वरिष्ठ सम्पादक, विभागीय प्रकाशन

26) सम्पादक, विभागीय प्रकाशन
27) उप जिला शिक्षा अधिकारी प्रकाशन
28) विशिष्ठ सहायक, निदेशक
29) सांख्यिकी अधिकारी, योजना
30) प्रशासनिक अधिकारी
31) उप जिला शिक्षा अधिकारी (सेकण्डरी)
32) उप जिला शिक्षा अधिकारी (प्रशासन)
33) वरिष्ठ लेखाधिकारी - ।

क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासन का स्वरूप :

शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय स्वरूप की दृष्टि से संपूर्ण राज्य को 5 परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है । जो निम्न प्रकार से है ।

1) बीकानेर (2) कोटा (3) जयपुर
4) जोधपुर (5) उदयपुर

बीकानेर मण्डल का मुख्यालय चूरू रखा गया है । बीकानेर जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर मण्डलों में प्रत्येक में उपनिदेशक स्तर के दो-दो अधिकारी कार्यरत है । जिनका प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर उप-निदेशक, शिक्षा (पुरुष) एवं उपनिदेशक शिक्षा (महिला) के नाम से अलग-अलग कार्यालय है । जयपुर मण्डल में संयुक्त निदेशक स्तर के दो अधिकारी, संयुक्त निदेशक, शिक्षा (पुरुष) एवं संयुक्त निदेशक, शिक्षा - (महिला) कार्यरत है ।

जिला स्तरीय प्रशासन :

प्रत्येक जिले में एक पद जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) का है । केवल जयपुर जिले में दो पद जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) के है जो जयपुर प्रथम व जयपुर द्वितीय के नाम से है ।

7 जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) कार्यरत है, जो निम्न प्रकार है ।

1) बीकानेर (2) जयपुर (3) जोधपुर (4) कोटा

5§ उदयपुर §6§ अजमेर §7§ भरतपुर

जिला शिक्षा अधिकारी जिले की समस्त शैक्षिक संस्थाओं से सम्पर्क बनाए रखते हैं। उनसे विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ एकत्रित करते है तथा जिले से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण एवं प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने का दायित्व भी जिला शिक्षा अधिकारी का है। शैक्षिक दृष्टि से कुछ छोटे जिलों को छोड़कर जिले के शैक्षिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने एवं प्रशासन की दृष्टि से 22 अतिरिक्त जिला-शिक्षा अधिकारी पद स्थापित है। जिनका मुख्यालय उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित है।

राज्य सरकार की नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ की गयी है। जिसके अन्तर्गत 5 मंडल मुख्यालय मुख्य बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा में व्यावसायिक शिक्षा के जिला कार्यालयों की स्थापना की गयी है। जिसमें प्रत्येक कार्यालय में एक-एक अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं उप जिला शिक्षा - अधिकारी §व्यावसायिक शिक्षा§ पद स्थापित किये गए है।

प्राथमिक शिक्षा के प्रसार, महत्ता, साक्षरता, नामांकन तथा समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक जिला परिषद् में पदस्थापित वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्रीय पर्यवेक्षण हेतु उप जिला शिक्षा अधिकारी को 53 स्थानों पर §छात्र§ प्रत्येक जिले में एक या दो को पदस्थापित किया गया है।

बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा हेतु भी व्यापक प्रबन्ध किये गए है। सात जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी §छात्रा§ कार्यरत होने के अतिरिक्त सभी जिलों में 28 वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी छात्रा का पद सृजित है जोकि बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा का सम्पूर्ण कार्य निष्पादन करता है।

शैक्षणिक प्रगति :

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अथक सुनियोजित प्रयासों के परिणाम से शिक्षा और साक्षरता में काफी वृद्धि हुई है लेकिन 1981 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता प्रतिशत 24.38 है। जबकि भारत का

साक्षरता प्रतिशत 36•17है । राज्य सरकार इस दिशा में निरन्तर विकास व प्रयास कर रही है । और हर वर्ष इन प्रयासों में वृद्धि की जा रही है । इसी के क्रम में शिक्षा कर्मी योजना शुरू की गयी है जिसका वर्णन आगे के पृष्ठों में किया गया है ।

वर्ष 1988-89 में शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास के बारे में संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है ।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा :

वर्ष 1987-88 में राज्य में 14 छात्र तथा 20 छात्रा कुल 34 विद्यालय थे जिसकी तुलना में पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वर्ष 1988-89 में दो की कमी आयी क्योंकि दो विद्यालयों को उन्नत कर दिया गया । वर्तमान में (1988-89) 14 छात्र तथा 18 छात्रा कुल 32 पूर्व प्राथमिक विद्यालय है । जिनमें 46 अध्यापक तथा 266 अध्यापिकाएँ कुल 312 शिक्षक कार्यरत है । 3-6 आयुवर्ग के बच्चों को खेलों के अध्यापन की ओर आमुख हो सके ऐसा प्रयास किया गया । इसके लिए विशेष पाठ्यक्रमों का निमार्ण किया गया । बच्चों के लिए खिलौना बैंक की स्थापना भी की गयी ।

प्राथमिक शिक्षा :

वर्ष 1988-89 में 345 नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये जबकि वर्ष 1987-88 में कुल 200 प्राथमिक विद्यालय खोले गये थे । 1987-88 में छात्र विद्यालय 26990 तथा छात्रा विद्यालय 1613 थे जो 1988-89 में बढ़कर क्रमशः 27239 व 1613 हो गये । नामांकन 4366 था जो बढ़कर 1988-89 में 44•71 लाख हो गया । प्राथमिक कक्षाओं में अनु0जाति व जनजाति के विद्यार्थियों का नामांकन क्रमशः 6•87लाख तथा 4•74 लाख रहा । सन्दर्भ तिथि 30•9•88 को 32 पूर्व प्राथमिक विद्यालय तथा 28852 प्राथमिक विद्यालय थे । इन विद्यालयों में 1988-89 में कुल मिलाकर 69539 अध्यापक कार्यरत रहे ।

उच्च प्राथमिक विद्यालय :

1987-88 में उच्च प्राथमिक विद्यालय 7316 छात्र व 1029

छात्रा के थे । वर्ष 1988-89 में प्राथमिक विद्यालयों को बहुत कम संख्या में उन्नत किया गया । 30·9·88 को कुल 30 प्राथमिक विद्यालयों क्रमशः छात्र 7356 व 1021 छात्रा के थे । नामांकन 12·60 लाख था जो 1987-88 की तुलना में 50 लाख अधिक था । कार्यरत अध्यापकों की संख्या 71484 थी ।

माध्यमिक शिक्षा :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुरूप सन् 1988-89 तक समस्त विद्यालयों में नई शिक्षा नीति लागू कर दी गयी थी । वर्ष - 1987-88 में कुल 2171 माध्यमिक तथा 897 उच्च माध्यमिक विद्यालय थे । 30·9·88 को माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 2188 तथा उच्च-माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 49 थी उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में कमी का कारण नयी शिक्षा नीति का लागू करना था नई शिक्षा नीति के कारण सभी 30 माध्यमिक विद्यालयों को उन्नत कर सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल बना दिये गये । 30·9·88 को माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों व सीनियर हायर सैकेण्डरी में कुल नामांकन 6·39 लाख था तथा कार्यरत अध्यापकों की संख्या क्रमशः माध्यमिक - विद्यालयों में 28656, उच्च माध्यमिक 994 तथा सीनियर उच्च माध्य० विद्यालयों में 26553 थी । वर्ष 1988-89 के दौरान कुल 854 हायर-सैकण्डरी विद्यालयों को उन्नत कर सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल बना दिया गया था ।

शिक्षा कर्मी योजना :

राज्य के दूरस्थ गाँवों में सार्वजनिक शिक्षा को प्रभावकारी बनाना जो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े है और जहाँ प्राथमिक शिक्षा प्रभावकारी नहीं हो सकी है वहाँ प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय आवश्यकता से जोड़कर उनमें गुणात्मक लाना इसी उद्देश्य से इस योजना को प्रारम्भ किया गया है इसको लागू करने के मुख्य कारण थे ।

1§ खास करके लड़कियों के नामांकन की कमी

2§ अपरक्षण की अधिकता

3§ शिक्षकों की अनुपस्थिति

4§ पाठ्यक्रम में स्थानीय तत्वों का अभाव

इस योजना के अधीन वर्तमान में 8 जिलों की 10 पंचायत समितियों में शिक्षा कर्मी विद्यालय चल रहे हैं । §1§ किशनगढ़§अजमेर §2§ कुम्भलगढ़ §उदयपुर§ §3§दूदू §जयपुर§ §4§ अराई §अजमेर§ §5§ शाहाबाद §कोटा§§6§ कोटरा §उदयपुर§ §7§ लूणकरणसर §बीकानेर§ §8§ बिछीवाड़ा §डूंगरपुर§ §9§ ओसियां §जोधपुर§ §10§ कुचामन §नागौर§

शिक्षा कर्मी योजना के अन्तर्गत अब तक 244 व्यक्तियों का चयन किया गया है । जिनको प्रशिक्षित किया जा रहा है । वर्तमान में 124 दिवसीय केन्द्र तथा 164 रात्रि केन्द्र कार्यरत हैं । वर्तमान में दिवसीय विद्यालयों में कुल नामांकन 7169 तथा रात्री कालिन केन्द्रों में नामांकन 2507 का है । इस वर्ष 1989 के अक्टूबर तक नामांकन के लक्ष्य दिवसीय विद्यालयों के लिए 16831 व रात्रिकालीन के लिए 19993 का रखा गया है ।

नवोदय विद्यालय :

प्रतिभावान छात्रों को उनकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो उन्हें अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराकर तेजी से आगे बढ़ने के अवसर दिये जाने की दृष्टि से नई शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत 1990 तक राज्य के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलने की योजना है । इन विद्यालयों में 75 प्रतिशत सीटें ग्रामीण क्षेत्र के लिए आरक्षित है । अब तक राज्य के 20 जिलों में नवोदय विद्यालय खोले जा चुके हैं चार जिलों में नवोदय विद्यालय खोले जाने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं ।

ओपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार एवं संख्यात्मक विस्तार को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है । सर्वप्रथम गुणात्मक सुधार हेतु सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को सुलभ कराया जाना है । इस वर्ष के अन्त तक 12187

विद्यालयों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया है । 6919 एकल अध्यापकीय विद्यालयों को दो अध्यापकीय विद्यालयों में परिवर्तन करने की कार्यवाही की गई । इन विद्यालयों में 797.80 लाख रूपये की राशि से न्यूनतम आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रगति पर है ।

इस योजना के अन्तर्गत 4293 प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण कार्यों में से 3349 लगभग पूर्ण हो चुके हैं । सभी कुल 11135 एकल अध्यापकीय प्राथमिक विद्यालयों को दो अध्यापकीय विद्यालयों में परिवर्तित किया जायेगा ।

इन सभी विद्यालयों में औसत रूप से करीब 7200/- रूपये की न्यूनतम आवश्यक सामग्री एवं फर्नीचर उपलब्ध कराया जावेगा ।

अनौपचारिक शिक्षा :

9-14 आयुवर्ग के बहुत से बालक बालिकाएँ सामाजिक, आर्थिक व पारिवारिक स्थिति के कारण औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा नहीं ले पाते हैं क्योंकि इनमें से अधिकांश बच्चे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिवार की दशा सुधारने में योगदान करते हैं । ऐसे बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से किया जाता है ।

वर्ष 1988-89 में राज्य में 10390 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा चलाये गये जिनसे लाभान्वित होने वाले बालक बालिकाओं की संख्या क्रमशः 1,90161 तथा 1,69,354 कुल 359515 है । इसमें अनु0 जाति के 72194 तथा अनु0जनजाति के 76963 बालक बालिकाओं ने इन केन्द्रों पर शिक्षा प्राप्त की । इस वर्ष कुल 11004 अनुदेशकों को प्रशिक्षित किया गया । इस वर्ष भारत सरकार की नई योजनान्तर्गत 400 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को नई योजना के अनुरूप प्रोजेक्ट में बदला जा रहा है ।

श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम :

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा आयोजित सैकेण्डरी व हायर सैकण्डरी परीक्षा परिणाम के आधार पर विद्यालयों को प्रतिवर्ष पुरूस्कार प्रदान किया जाता है । वर्ष 1987-88 के परीक्षा परिणाम के

आधार पर पुरस्कार हेतु निम्न विद्यालयों का चयन किया गया है ।

शहरी क्षेत्र :

1§ सेन्ट मेरी कोन्वेन्ट बालिका सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर §हायर सैकेण्डरी§

2§ महिला बाल शिक्षक संघ §बालबाड़ी§ गंगाशहर, बीकानेर §सैकेण्डरी§

ग्रामीण क्षेत्र :

1§ मल्धर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, विद्याबाड़ी §पाली§ §हायर सैकेण्डरी§

2§ राजस्थान माध्यमिक विद्यालय, गुरला §भीलवाड़ा§ §सैकेण्डरी§

बोर्ड के परीक्षा परिणाम के आधार पर संस्था प्रधान/अध्यापक को प्रशंसा पत्र देने व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किये गये ।

निरीक्षण :

क्षेत्र के समस्त अधिकारियों द्वारा समय-समय पर विद्यालयों का निरीक्षण किया जाता रहा है परन्तु यह देखने में आया है कि निरीक्षण प्रतिवेदन में विद्यालयों के क्रियाकलापों सम्बन्धित विवरण नहीं होता । इस हेतु निरीक्षण प्रपत्र व अनुपालना भिजवाने का प्रारूप सभी अधिकारियों को भेजा गया ।

अपव्यय एवं परित्याग :

शिक्षा के सार्वजनकीकरण के मार्ग में अपव्यय एवं अवरोध एक बड़ी बाधा है जितने भी छात्र-छात्रा विद्यालयों में प्रवेश लेती है उनमें से कुछ आर्थिक एवं सामाजिक कारणों से तथा कुछ अन्य कारणों से विद्यालय त्याग देते है इससे शिक्षा के सार्वजनकीकरण के लक्ष्य को पूर्ण करने में कठिनाई आती है । प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमश: 5 वर्ष 3 वर्ष तथा 3 वर्ष का पाठ्यक्रम निर्धारित किया हुआ है । अत: जो छात्र/छात्राएं निरन्तर 5+3+3 वर्ष शिक्षा प्राप्त नहीं कर

पाते है तो शिक्षा पर व्यय की गयी राशि का अनुपातिक अंश अपव्यय हो जाता है । इससे राज्य को अनावश्यक व्ययभार को वहन तो करना पड़ता ही है साथ ही शिक्षा की प्रगति में भी गतिरोध उत्पन्न होता है । राज्य सरकार इस अवरोधन को रोकने के लिए प्रयत्नशील है इस हेतु अधिकतम उपस्थित रहने वाले छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्तियां दी जाती है पुस्तक में पठन-पाठन की सुविधाएं दी जा रही है । जिससे छात्र-छात्राओं की संख्या अधिकतम बनी रहे ।

विशिष्ठ अभिकरण :

शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए निम्न पांच विशिष्ठ अभिकरण भी कार्य कर रहे है :-

1. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर
2. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, जयपुर
3. शैक्षिक प्रौधोगिक एवं भाषा प्रभाग, जयपुर
4. राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर
5. सार्दुल, स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर ।

यह संस्था प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के के लिए प्रतिबद्ध तथा शैक्षिक चुनोतियों के समाधान की दिशा में कार्यरत एक अग्रगामी संस्था है । संस्थान अपने निर्देशन में व्यापक शिक्षक अभिनव कार्यक्रम डाईट, विकलांग शिक्षा, विज्ञान शिक्षण सुधार योजना, पर्यवेक्षण अनुसन्धान कार्य तथा शिक्षकों के स्तरोन्नयन हेतु प्रमुख कार्य भी सम्पादित करती है ।

इस संस्थान द्वारा ग्रीष्मावकाश 1988 में 19987 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया । अब तक कुल 66232 शिक्षक प्रशिक्षित किये जा चुके हैं । इस वर्ष जनसंख्या शिक्षा के सम्बन्ध में 75 व्याख्याताओं व 700 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया । इसी प्रकार अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के कुल 96 पर्यवेक्षकों को तथा शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों के 46 प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया ।

इस प्रकार संस्थान प्रशिक्षण अनुसंधान, प्रसार, विकास एवं प्रकाशन के आधारभूत कार्यों में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है ।

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय :

देश के सामाजिक एवं आर्थिक सर्वांगीण विकास के लिए शत-प्रतिशत साक्षरता नितान्त आवश्यक है । 15-35 आयु वर्ग के प्रौढ़ों को साक्षर करने हेतु राज्य में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है । वर्तमान में राज्य में 14602 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चल रहे हैं, जिनके माध्यम से 4.45 लाख प्रौढ़ों को साक्षर किया जा रहा है । इनमें 0.81 लाख अनुसूचित जाति एवं 0.67 लाख अनुसूचित जनजाति के प्रौढ़ लाभान्वित हो रहे है । नगर परिषद/नगरपालिका कर्मचारियों को साक्षर करने के लिए 100 नगरपालिकाओं एवं नगरपरिषदों में 145 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र प्रारम्भ कर 4155 प्रौढ़ों को नामांकित कर लाभान्वित किया जा रहा है ।

भारत सरकार की सहायता से राज्य के सभी 27 जिलों में नेहरू युवक केन्द्रों की सहायता से 3500 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से 1.05 लाख प्रौढ़ों को साक्षर किया जा रहा है । इस योजना के अन्तर्गत 23 कारागृहों में 30 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र संचालित है । जिनमें 851 निरक्षर कारागृह वासी लाभान्वित हो रहे है । इसके अतिरिक्त खान श्रमिकों के लिए भी साक्षरता कार्यक्रम को चुस्त बनाने के लिए 19 नवम्बर, 88 से राज्य साक्षरता प्राधिकरण का गठन किया जा चुका है ।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं भाषा प्रभाग, जयपुर :

जन संचार माध्यमों की क्षमता व शिक्षा में उनके संभावित योगदान को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने 1973 में शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग की स्थापना की । प्रभाग का उद्देश्य रेडियो, दूरदर्शन प पत्राचार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे गुणात्मक व क्रियात्मक प्रयासों को प्रोत्साहन देकर उसे एक नयी दिशा देना था ताकि दूर दराज में बिखरे छात्र समुदाय को विश्वभर में संचित व सृजित ज्ञान विज्ञान से परिचित कराया जा सके । यह प्रभाग निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित करता है ।

1. आलेख लेखन प्रशिक्षण शिविर

2. रेडियो व दूरदर्शन प्रभारी अध्यापकों का प्रशिक्षण ।

3. शैक्षिक प्राकंष्ठ प्रभारियों का अभिनव प्रशिक्षण ।

4. प्रभारी अध्यापकों हेतु संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण

5. शिक्षा प्रसार अधिकारियों का प्रशिक्षण ।

भाषाओं के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तके, सहायक पुस्तके, भाषा अध्यापकों के अभिनव कार्यक्रम आदि का संचालन भाषा प्रभाग करता है ।

राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर :

राजस्थान प्रदेश के शिशु श्रेणी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को सस्ती सुन्दर एवं अद्यतन ज्ञान विज्ञान की सामग्री से परिपूर्ण पाठ्यपुस्तकें को समय पर सुलभ कराने के उद्देश्य से फरवरी 1956 में शिक्षा विभाग राजस्थान के तत्वाधान में राष्ट्रीयकरण पाठ्यपुस्तक मण्डल की स्थापना की गई थी । मण्डल को अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्रिय बनाने एवं गतिशीलता लाने के लिए जनवरी 74 में इसे राज्य सरकार ने स्वायतशासी संस्थान का रूप दिया तथा राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत कराकर (राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल) के नाम से अभिहित किया गया । मण्डल द्वारा प्रतिवेदित वर्ष में कुल 40 पुस्तकों का मुद्रण कराया जा रहा है ।

प्रतिवेदित वर्ष 1988 में माह दिसम्बर, 1988 तक बिक्री केन्द्रों द्वारा कुल 1,02,11,020 पुस्तकों की बिक्री की गई जिसे मण्डल को कुल 3,15,43,032 की राशि प्राप्त हुई है ।

पाठ्यपुस्तकों के साथ-साथ ही 1980-81 से चेतक अभ्यास पुस्तिकाओं के बनाने एवं वितरण करने का दायित्व भी मण्डल द्वारा वहन किया जा रहा है । प्रतिवेदित वर्ष में मण्डल ने 1964353 चेतक अभ्यास पुस्तिकाओं की बिक्री की जिससे मण्डल को लगभग 35 लाख रूपये की राशि प्राप्त हुई है । पाठ्यपुस्तकों एवं अभ्यास पुस्तिकाओं के वितरण हेतु प्रतिवेदित वर्ष में मण्डल के 43 वितरण केन्द्र तथा 2 खुदरा बिक्री (अजमेर, जयपुर) संचालित है ।

सार्दुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर:

सन् 1982 से सार्दुल पब्लिक स्कूल को नाम परिवर्तित कर सार्दुल-

स्पोर्टस स्कूल रखा गया । इसके द्वारा विभिन्न खेलों के प्रतिभाशाली छात्रोंका चयन कर प्रशिक्षण दिया जाता है । सार्दुल स्पोर्टस स्कूल के अन्तर्गत निम्नांकित खेलों हेतु प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है ।

हॉकी, एथेलेटिक्स, बॉस्केटबॉल, जिमनास्टिक्स, फुटबॉल, टेबिल-टेनिस, बौलीबॉल एवं कुस्ती ।

इन खेलों में प्रतिभाशाली खिलाड़ी छात्रों को खेल में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है । साथ ही अच्छी शिक्षा सुविधाऐं भी उपलब्ध करायी जाती है ।

प्रवेश 6 से 11 वर्ष तक के सभी वर्गों में प्रवेश देने हेतु शारीरिक क्षमता, खेल दक्षता एवं अकादमिक योग्यता का परीक्षण तथा साक्षात्कार किया जाता है । चयनित छात्रों को राज्य सरकार की ओर से निशुल्क शिक्षा, भोजन, छात्रावास में आवास एवं पाठ्य सामग्री गणवेश की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है ।

कम्प्यूटर शिक्षा :

वर्ष 1987-88 में राज्य के 59 विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा चल रही थी जिनकी संख्या इस वर्ष 1988-89 में बढ़कर 71 हो गयी । क्लास प्रोजेक्ट के अन्तर्गत ही इन 71 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक वि0 में कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध करायी गई है ।

व्यावसायिक शिक्षा :

राज्य में वर्ष 1987-88 में 51 सीनियर हायर सैकण्डरी वि0 में दस जमा दो स्तर पर शिक्षा के अनतर्गत वाणिज्य, गृहविज्ञान, इंजीनियरींग, तथा कृषि क्षेत्रों से सम्बन्धित पाठ्यक्रम चालु किये गए है । आलोच्य वर्ष - 1988-89 में 24 और सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये है इस प्रकार अब तक 75 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है ।

छात्रवृतियां :

प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृतियां

को क्रियान्विति हो रही है । वर्ष 1988-89 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्रमशः 403 व 387 बालक-बालिकाओं को विशेष छात्रवृति पब्लिक हाईस्कूलेड संस्थाओं में अध्ययन हेतु अनुसूचित जाति के लिए 25.48 लाख व जनजाति के 27.71 लाख का प्रावधान रखा गया । ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृति के अन्तर्गत इस वर्ष लगभग 3500 छात्रों को 23.50 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गयी । अत्यन्त निर्धनतम 6000 छात्रों को 6.25 लाख रूपये की छात्रवृति प्रदान की गयी इस वर्ष प्रत्येक अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृति के लिए पात्र माना गया जिसके अन्तर्गत 7.50 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान रखा गया ।

वर्ष 1988 में बोर्ड के अन्तर्गत योग्यता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले माध्यमिक स्तर के 229 छात्र-छात्राओं को 600 रू0 तथा उ0मा0 विद्यालय स्तर के 240 छात्र-छात्राओं को 1000 रू0 प्रति छात्र के हिसाब से पुरूस्कार राशि वितरीत की गयी ।

क्रियाशील अवकाश :

इस योजना के अन्तर्गत ग्रीष्मकालीन अवकाश में अंग्रेजी, हिन्दी, गणित एवं विज्ञान के कमजोर छात्रों के लिए कक्षाओं का आयोजन किया जाता है । पूरक परीक्षा के योग्य छात्र इससे बहुत लाभान्वित हो रहे है । पुस्तकालय एवं खेलकूद कार्यक्रमों का आयोजन भी इसके अन्तर्गत किये जाते है ।

दलीय परीवीक्षण :

प्रतिवर्ष जिले की आवश्यकतानुसार विद्यालयों के शैक्षिक संमुन्नयन हेतु दलीय परिवीक्षण योजना प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी बनाता है । चूंकि साधारण निरीक्षण से बड़े विद्यालयों की सम्पूर्ण प्रवृतियों का सही मूल्यांकन संभव नहीं है इसलिए उलीय परिवीक्षण योजना बनायी जाती है प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी को दलीय परिवीक्षण योजना बनाने हेतु निर्देश जारी किये गये है । एस.आई0ई0आर0टी0उदयपुर द्वारा दलीय परिवीक्षण के प्रतिवेदन मंगवाकर समीक्षा का कार्य भी किया जाता है ।

विद्यालय संगम :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के §प्रोग्राम ऑफ एक्शन§ क्रियान्वयन

कार्यक्रम में शिक्षकों में निष्ठा पैदा करने तथा विद्यालय स्तर पर विकासों अनुभवों और सुविधाओं के आदान प्रदान के साथ-साथ, शिक्षा के सार्वजनीकरण तथा गुणात्मक विकास के लिए विद्यालय संगम को स्थापना पर बल दिया है जो शैक्षिक प्रशासन के विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रभावी कदम होगा । इसके अतिरिक्त विद्यालय संगम जिला शिक्षा बोर्ड और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के शैक्षिक कार्यक्रमों में भी सहयोग प्रदान करेगा ।

अतः विभाग ने शैक्षिक सत्र 1987-88 से राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय तथा प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर एक-एक विद्यालय संकुल केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया जिसके अन्तर्गत संगम के केन्द्रीय विद्यालय संगम के अनिवार्यतः सदस्य होगें । प्रत्येक शाला संगम के सफल संचालन हेतु एक परामर्शदात्री समिति का भी गठन किया जायेगा तथा प्रतिवर्ष शाला संगम के कार्यों का मूल्यांकन किया जावेगा ।

प्रधानाध्यापक वाकपीठ :

शिक्षा के क्षेत्र में चिन्तन को प्रोत्साहन देने, शैक्षिक उन्नयन करने एवं शिक्षा प्रशासन को अधिक युक्तियुक्त बनाने की दृष्टि से विशिष्ट प्रयास के रूप में प्रत्येक जिले में प्रधानाध्यापक वाकपीठ कार्यरत है । पूर्ववर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रधानाध्यापक वाकपीठ की वार्षिक योजना तैयार कर मंगवाने हेतु परिपत्र जारी किया गया तथा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को लिखा गया कि वे सत्र 1988-89 वार्षिक योजना बैठक का प्रतिवेदन राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर को भी भेजें ताकि प्रधानाध्यापक वाकपीठ के कार्यों की समीक्षा की जा सके ।

इसी क्रम में मण्डल/राज्य स्तर पर प्रधानाध्यापक वाकपीठ के गठन हेतु भी विचार चल रहा है ताकि कार्यक्रम को और गति प्रदान की जा सके ।

परीक्षा परिणाम अभ्युन्नयन :

बोर्ड परीक्षा परिणामों में संख्यात्मक एवं गुणात्मक अभिवृद्धि हेतु एक परिपत्र जारी किया गया जिसके अन्तर्गत एक कार्य योजना बनाने हेतु निर्देश सभी अधिकारियों को दिये गये हैं जिसमें प्रत्येक विद्यालय में 15 मार्च तक विशेष विषयों की अतिरिक्त कक्षायें लगायेगें । जिला शिक्षा अधिकारी अपने परिवीक्षण कार्यक्रम में न्यून परीक्षा परिणाम वाले विद्यालय सम्मिलित

करेगें । प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी सत्र के अन्त में परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद जिले के परीक्षा परिणाम का तुलनात्मक विवरण तैयार कर भेजेगें ।

आन्तरिक मुल्यांकन प्रणाली :

शिक्षा में परीक्षा अथवा मूल्यांकन का एक विशिष्ट स्थान है । देश में नई शिक्षा नीति को अपनाने के साथ ही पुरानी विषय पर आधारित परीक्षा प्रणाली के स्थान पर एक निरन्तर प्रणाली की शुरूआत की जा रही है । नई शिक्षा नीति के अनुरूप परीक्षा में इस प्रकार सुधार किया जावेगा जिससे कि मूल्यांकन की एक वैध और विश्वसनीयता प्रक्रिया उभर सके और वह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में एक सशक्त साधन के रूप में काम आ सके । इसके अन्तर्गत परीक्षा में सुधार के साथ-साथ शिक्षण सामग्री और शिक्षण विधि में सुधार, अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रणाली का उपयोग किया जायेगा । परीक्षा व्यवस्था में उपर्युक्त सुधार हेतु "मूल्यांकन पद्धति एवं परीक्षा प्रणाली में सुधार" नाम अध्याय नई शिक्षा नीति के राज्य स्तरीय क्रियान्वयन योजना में सम्मिलित किया गया है ।

शिक्षक प्रशिक्षण :

राज्य में वर्तमान में 37 बी०एड० कॉलिज तथा 36 बी०एस०टी० सी० स्कूल संचालित है जिनके माध्यम से क्रमशः 6143 एवं 2735 प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित हो रहे है । शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण एवं स्तरोन्नयन हेतु राज्य के सात एस०टी०सी० विद्यालयों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) के रूप में सुदृढ़ीकरण किया गया तथा दो जिलों में इसकी स्थापना हेतु भवन निमार्ण कार्य चल रहा है । इस वर्ष 9 और जिलों में डाईट की स्थापना हेतु भारत सरकार से 246.80 लाख रूपये भवन निमार्ण तथा 49.05 लाख रूपये सामग्री हेतु प्रथम किश्त में प्राप्त हुए है ।

राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बीकानेर को इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवान्स स्टडीज के रूप में क्रमोन्नत किया गया तथा महेश टीचर्स ट्रेनिंग कॉलिज, जोधपुर को कॉलिज ऑफ टीचर्स एजूकेशन के रूप में क्रमोन्नत किया गया है । आलोच्य वर्ष में एक इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवान्स स्टडीज व दो सी० टी०ई० स्थापित किया जाना भी प्रस्तावित है ।

शिक्षक पुरूस्कार :

शिक्षकों को सम्मान जनक स्थान प्रदान करना भारत की परम्परा रही है । शिक्षक मात्र शिक्षा देने वाला ही नहीं माना जाता है बल्कि उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो अपने कर्म एवं विचार से आदर्श स्थापित करता है । वस्तुतः संस्कृत का शब्द "गुरू" विभिन्न भाषाओं में भारतीय मूल का वह शब्द माना गया है जिसका अर्थ है स्वीय शिक्षक, मार्गदर्शक और मित्र ।

शिक्षक दिवस हर वर्ष अनुकरणीय शिक्षक डा0सर्वपल्ली राधा कृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है । इस वर्ष शिक्षक दिवस का विशेष ही महत्व रहा क्योंकि इस वर्ष 5 सितम्बर, 1988 को उनका सौंवा जन्म दिन था ।

प्रत्येक वर्ष 5 सितम्बर शिक्षक दिवस को राज्य की राजधानी जयपुर में शिक्षक दिवस समारोह आयोजित किये जाते है । इस अवसर पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों से राज्य स्तर पर चयनित अध्यापकों को पुरूस्कृत एवं सम्मानित किया जाता है । वर्ष 1988 में 5 अध्यापकों को राष्ट्रीय स्तर पर तथा राज्य स्तर पर 42 अध्यापकों को सम्मानित किया गया है ।

विकलांगों के लिए शिक्षा :

विकलांग बालकों हेतु एकीकृत शिक्षा योजना राज्य में वर्ष - 1978 से 6 प्रमुख नगरों क्रमशः उदयपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर,जोधपुर एवं कोटा के एक-एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में चल रही है । योजनान्तर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 513 विकलांग बालक अध्ययनरत है ।

इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने 18 फरवरी, 88 से 10 नये उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विकलांगएकीकृत शिक्षा खोलने की स्वीकृति प्रदान की है ।

वर्ष 1987-88 में संस्थान एवं एस. सी. ई. आर. टी. के सम्मिलित प्रयास से युनीसेफ प्रायोजित-एक प्रोजेक्ट भी विकलांग एकीकृत शिक्षा के अन्तर्गत कोटा की छबड़ा पंचायत समिति से प्रारम्भ किया गया है । इनमें

अब तक विकलांग बालकों की पहचान करने हेतु 308 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया है ।

योजना एवं लेखा :

निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा 1988-89 में नियंत्रित मदों के आधार पर स्वीकृत आय-व्यय का विवरण इस प्रकार है :-

§लाखों में§

	बजट प्रावधान	व्यय
1. आयोजना भिन्न	3747632	39138.75
प्रभृत	0.25	1.65
2. आयोजना	5481.88	6091.45
3. केन्द्र प्रवर्तित	835.65	1904.47

पुस्तकालय :

वर्ष 1988-89 में राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों की कुल संख्या 39 है । इनमें राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय-1 मण्डल पुस्तकालय-5, जिला पुस्तकालय-24 एवं तहसील पुस्तकालय-9 तथा राज्य में कुल वाचनालय-13 है । राज्य में कुल 75 निजी क्षेत्र के पुस्तकालय कार्यरत है ।

राज्य सरकार ने पुस्तकालय निदेशालय की स्थापना के लिए विशेषाधिकारी स्केल नं. 23 का पद एवं एक आशुलिपिक एक कनिष्ठ लिपिक एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद स्वीकृत किया जा चुका है । पुस्तकालयाध्यक्ष के प्रथम श्रेणी के 10 द्वितीय श्रेणी के 30 एवं तृतीय श्रेणी के 43 पद है ।

शारीरिक शिक्षा :

नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत शारीरिक शिक्षा विषय अनिवार्य रखा गया है । कक्षा 9 व 10 में शारीरिक शिक्षा के अन्तर्गत खेलकूद की सभी प्रवृतियाँ आती है । इसके साथ अन्य प्रवृतियाँ जैसे पी.टी., डम्बल, लेजियम आदि क्रियाएं भी सम्मिलित है इन सभी क्रियाओं को कराने हेतु बोर्ड ने 2 कालांश प्रति सप्ताह प्रति कक्षा दिये हुए है । जिन शालाओं के पास खेल मैदान व खेल उपकरण की सुविधा नहीं है उनको खेल संगमों द्वारा खेल मैदान

उपलब्ध कराये जाते है । इनको संख्या 7 है जो पांचों मण्डलों पर तथा एक-एक अजमेर व गंगानगर में है । ये जिला शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में चलती है । 9 कोचिंग सेन्टर है एक स्पोर्टस स्कूल है तथा एक शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर में है ।

खेलकूद :

छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास में शारीरिक शिक्षा के महत्व को दृष्टिगत रखु राजस्थान में सर्वप्रथम 1956 में छात्रों के लिए राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता प्रारम्भ की गयी शिक्षा विभाग का मुख्यालय, बीकानेर होनें के कारण प्रथम प्रतियोगिता का आयोजन भी बीकानेर में ही किया गया तब से समय-समय पर खेलकूद अनुभाग प्रतियोगिताओं का आयोजन करता रहा है । खेलकूद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीष्मकालीन खेलकूद शिविरों का भी विभिन्न स्थानों पर आयोजन किया जाता है । और प्रतिभावान छात्र - छात्राओं को छात्रवृति प्रदान की जाती है । क्रिड़ा संगमों का भी निर्माण कराया गया है । वर्ष 1988-89 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य को एथेलेटिक्स में एक रजत पदक तथा एक कांस्य पदक कुस्ती में प्राप्त हुआ । राज्य सरकार द्वारा खेलकूद के लिए 102.40 लाख रूपये का बजट आवंटन किया गया ।

विभागीय परीक्षाऐं :

निदेशालय शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्वतंत्र रूप से शारीरिक शिक्षा विभागीय परीक्षाऐं कार्य कर रहा है । वर्तमान में निम्न परीक्षाऐं नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं ।

1. शिक्षक प्रशिक्षण प्रथम वर्ष परीक्षा
2. शिक्षक प्रशिक्षण द्वितीय वर्ष परीक्षा
3. शिक्षक प्रशिक्षण पूर्व प्राथमिक परीक्षा
4. शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र उद्योग शिक्षा विशेषीकरण परीक्षा
5. शारीरिक शिक्षा प्रमाण-पत्र परीक्षा
6. शारीरिक शिक्षा डिप्लोमा परीक्षा
7. संगीत प्रभाकर प्रथम वर्ष परीक्षा
8. संगीत प्रभाकर द्वितीय वर्ष परीक्षा
9. संगीत भूषण परीक्षा

ये परीक्षाऐं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के पेटर्न

पर लो जा रहो है । वर्ष 1987-88 को विभिन्न परोक्षाओं में कुल 8058 छात्र-छात्राएं प्रविष्ठ हुए थे जिनमें से 7340 छात्र छात्राओं ने सफलता प्राप्त को ।

हितकारो निधि :

शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अध्यापकों के कल्याणार्थ यह योजना 1975 में शुरू को गयो थो । इस निधि को आय कर्मचारियों के वार्षिक अंशदान को प्राप्त राशि से होतो है । राज्य सरकार द्वारा भो प्रतिवर्ष 1.00,000 रूपये का अंशदान देतो है । इस निधि का संचालन निदेशक महोदय को अध्यक्षता में एक समिति द्वारा किया जाता है । जिसको समय-समय पर बैठकें होंतो है ।

इस योजना के अन्तर्गत ऋण एवं सहायता दो जातो है । प्रत्येक मृतकर्मचारो के आश्रोतों को 2000/- को सहायता एवं स्वयं को अथवा परिवार के किसो सदस्य को गम्भोर बिमारो में 500 रूपये से 2000 रूपये तक को सहायता दो जातो है । पुत्रो विवाह हेतु 2000/-रू0 का ऋण तथा स्वयं के पुत्र/पुत्रो के तकनोको व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन हेतु 500 से 3000/- रू0 तक ऋण दिया जाता है ।

इस योजना के अन्तर्गत गत वर्षों 88-89 में उपलब्ध कराया गयो सहायता एवं ऋण का विवरण निम्नानुसार है ।

वर्ष 1988-89

सहायता का प्रकार	लाभान्वितों/प्राप्तकर्ताओं की संख्या	राशि
1. सहायता	98	98303
2. ऋण	29	52000
	कुल -	150303

शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान :

भारत सरकार द्वारा अध्यापकों के कल्याणार्थ एवं विपन्नावस्था में उनको एवं उनके परिवार को सहायतार्थ चैरिटेबल एण्डोमेन्ट एक्ट 1890 के अन्तर्गत वर्ष 1962 में राष्ट्रोय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान को स्थापना को गई थो । प्रतिष्ठान को निधि शिक्षक दिवस पर एकत्रित धनराशि से निर्मित

हुई है । राजस्थान में इस योजना का क्रियान्वयन वर्ष 1966 से प्रारम्भ किया गया था । योजना के प्रारम्भ होने से अब तक दी गई सहायता एवं छात्रवृति का विवरण निम्नानुसार है ।

(अ) योजना के आरम्भ से अब तक (1966 से 1988-89) तक निम्न सहायता एवं छात्रवृति दी गई हैं -

	प्रकरण संख्या	राशि
1. अध्यापकों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को सहायता	1811	10, 32, 685
2. अध्यापकों की विधवाओं को पुत्री विवाह हेतु सहायता	24	19, 000
3. अध्यापकों की विधवाओं को पुत्री विवाह हेतु सहायता	3	4, 000
4. अध्यापकों की विधवाओं को जीविकोपार्जन के लिए उपकरण क्रय करने के लिए सहायता	5	7, 000
5. अध्यापकों के विकलांग बच्चों को छात्रवृति	73	11, 450
	1916	1074135

(ब) वर्ष 1988-89 में दी गई सहायता एवं छात्रवृति का विवरण निम्नानुसार है -

1. मृत्यु पर सहायता (प्र0स0 13)	26000/-
2. अध्यापकों की विधवाओं को जीविको पार्जन के के लिए उपकरण खरीदने हेतु सहायता (प्र0स0 3)	5000/-
3. छात्रवृति (प्र0स0 4)	800/-

विभागीय प्रकाशन :

प्रकाशन के अन्तर्गत राजस्थान अकेला ऐसा राज्य है जिसने शैक्षिक पत्रकारिता को उच्च स्तरीय प्रकाशनों के माध्यम से बढ़ावा दिया है । ऐसी पत्रिकाएं और शिक्षकों के प्रकाशन का उदाहरण देश में कहीं नहीं मिलता, यह प्रबुद्ध शिक्षा विदों का स्पष्ठ एवं लिखित मत है ।

शिविरा एवं नया शिक्षक को प्रकाशित होते 25 वर्ष से अधिक हो चुके हैं । फलस्वरूप दोनों पत्रिकाओं के रजत जयंति विशेषांक भी इस अवसर पर प्रकाशित हो चुके है । वर्तमान में शिविरा (मासिक) के 31000 तथा नया शिक्षक के 12000 के नियमित प्रिन्ट आर्डर दिये जाते है ।

समय-समय पर इन प्रकाशनों के अतिरिक्त शैक्षिक दृष्टि से उपयोगी एवं नवाचार से सम्बद्ध सुबद्ध शिक्षा प्रकाशन योजना के अन्तर्गत 23 पुस्तिकाएं भी प्रकाशित की जा चुकी है ।

1966 से राज्य के सृजनशील साहित्यिक रचनाओं का शिक्षक दिवस (5 सितम्बर) के अवसर पर प्रतिवर्ष प्रकाशन होता है । इसके लिए सृजनशील शिक्षकों की रचनाएं आमंत्रित की जाती है । इनका संपादन लब्ध प्र० प्रतिष्ठ भारतीय ख्याति के साहित्यकारों द्वारा कराते है । अब तक विविध विधाओं के लगभग 110 संकलन प्रकाशित हो चुके है ।

वर्ष 1988-89 में निम्न पांच पुस्तकों का प्रकाशन किया गया-

1. सहस्त्रधार (कविता संकलन) सं. ज्ञान मारिल्ल
2. राग मरूगन्धा (हिन्दी विविधा) सं. रामप्रसाद दाधीच
3. बदलाव (रा. विविधा.) पं. सूर्य शंकर पारीक
4. क्षितिज पार (कहानी संकलन) सं. नासिर शर्मा
5. आकाश के फूल (बाल साहित्य) सं. रतन प्रकाश शील

विद्यालय पंचाग :

राज्य में कार्यरत शिक्षण संस्थाओं हेतु निदेशालय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, विभागीय कलैण्डर प्रकाशित कर प्रतिवर्ष आगामी सत्र के लिए मार्च में उपलब्ध करवा देता है । इसके प्रकाशन का उद्देश्य राज्य भर की शिक्षण संस्थाओं के संचालन में एकरूपता लाना है । क्योंकि राज्य की प्रत्येक शिक्षण संस्था पंचाग के अनुसार गतिविधियों का संचालन करती है । इससे शिक्षाविभाग के अवकाश तथा विभिन्न कार्यक्रमों का तिथिवार वर्णन होता है ।

शिक्षा की प्रगति से सम्बन्धित कुछ प्रमुख तालिकाएं है जो अगले पृष्ठों पर दी गई है :-

सारिणी-1

आयुवर्गानुसार बालक-बालिकाओं की अनुमानित जनसंख्या एवं विद्यालय जाने वालों की संख्या

(00 में)

आयुवर्ग	अनुमानित जनसंख्या 1988-89			विद्यालय जाने वालों की संख्या 88-89		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
06-11	28677	26917	55594	3138002	1333256	4471258
11-14	15263	14285	29548	9999.79	2604.75	12604.54
14-17	19930	18459	38389	5631.34	1268.34	6899.68
योग --						

सारिणी 2

आयुवर्गानुसार अनुसूचित जाति के छात्रों का नामांकन (30.9.88)

(00में)

आयुवर्ग	अनुमानित जनसंख्या			नामांकन		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
06-11	4904	4570	9474	5213.47	1665.16	6878.63
11-14	2610	2425	5035	15163.7	182.97	1699.34
14-17	3408	3134	6542	7519.0	52.29	804.19
योग	10922	10129	21051	748174	190042	938216

सारिणी 3

आयुवर्गानुसार अनुसूचित जनजाति के छात्रों का नामांकन (30.9.88)

(00में)

आयुवर्ग	अनुमानित जनसंख्या			नामांकन		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
06-11	3455	3335	6790	3671.09	1069.79	4740.88
11-14	1839	1770	3609	930.19	95.12	1025.31
14-17	2401	2287	4688	473.75	26.19	499.94
योग --	7695	7392	15087	5075.03	1191.10	6266.13

सारिणी - 4

राज्य में शिक्षण संस्थाओं की स्थिति (30.9.88)

शाला का प्रकार	छात्र	छात्रा	योग
पूर्व प्राथमिक	14	18	32
प्राथमिक	27239	1613	28852
उच्च प्राथमिक	7356	1021	8377
माध्यमिक	1850	338	2188
उच्च माध्यमिक	38	11	49
सी0ओ0माध्यमिक	721	133	854
योग ---	37218	3134	40352

सारिणी - 5

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षण संस्थाओं की स्थिति (30.9.88)

शाला का प्रकार	ग्रामीण			शहरी		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
पूर्व प्राथमिक	03	—	03	11	18	29
प्राथमिक	24473	1017	25490	2766	596	3362
उच्च प्राथमिक	5960	745	6705	1396	276	1672
माध्यमिक	1647	133	1780	203	205	408
उच्च माध्यमिक	08	01	09	30	10	40
सी0ओ0माध्यमिक	372	04	376	349	129	473
योग ---	32463	1900	34363	4755	1234	5989

/भूपो

सारिणी - 6

राज्य में विद्यालयवार अध्यापकों की स्थिति (30.9.88)

शाला का प्रकार	प्रशिक्षित			कुल अध्यापक		
	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
पूर्व प्राथमिक	45	214	259	46	266	312
प्राथमिक	47018	13508	60526	51579	17648	69227
उच्च प्राथमिक	51919	14017	65936	54709	16775	71484
माध्यमिक	22263	5303	27566	22784	5872	28656
उच्च माध्यमिक	522	345	867	586	408	994
सी0उ0माध्यमिक	20273	5470	25743	20659	5894	26553
योग ----	142040	38857	180897	150363	46863	197226

सारिणी - 7

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अध्यापक (30.9.88)

शाला का प्रकार	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
पूर्व प्राथमिक	02	--	02	--	--	--
प्राथमिक	5347	276	5623	2710	191	2901
उच्च प्राथमिक	5928	282	6210	2418	71	2489
माध्यमिक	1654	46	1700	646	22	668
उच्च माध्यमिक	12	02	14	01	--	01
सी0उ0माध्यमिक	785	26	811	285	11	296
योग ----	13728	632	14360	6060	295	6355

भुपो

NIEPA DC
D05343

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-5343
Date... 1-7-90